पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 19/2019

अनवान :

1. भजनलाल पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
– वादी

बनाम

1. भागुराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. शान्तिदेवी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. फुलीदेवी पत्नी भागुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. एसबीआई छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक एसबीआई छानीबडी।
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं0 177/371 के खसरा सं0 125 की 6.273 है0, खसरा सं0 361 की 4.173 है0 खसरा सं0 365 की 0.405 है0 खसरा सं0 514 की 2.643 है0 कुल 13.494 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा रोही करनपुरा बारानी के ही खाता सं0 178/372 के खसरा सं0 362 की 4.957 है0 खसरा सं0 363 की 4.199 है0 कुल 9.156 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के ही खाता सं0 176/368 के खसरा सं0 250 की 2.023 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 46 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी सं0 1 भागुराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादीगण सं0 1, 4, 5 द्वारा हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही रोही मौजा करनपुरा बारानी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 भागुराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त तीनों खातों की कृषि भूमि जो भागुराम के दर्ज है में वादी भजनलाल, प्रतिवादी सं0 2 मोहनलाल, प्रतिवादी सं0 3 सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 19/2019

अनवान :

1. भजनलाल पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. भागुराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. मोहनलाल पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. शान्तिदेवी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. फुलीदेवी पत्नी भागुराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. एसबीआई छानीबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक एसबीआई छानीबडी।
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां **: वादी**
वकील श्री उम्मेद मोठसरा – **प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 27.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं0 177/371 के खसरा सं0 125 की 6.273 है0, खसरा सं0 361 की 4.173 है0 खसरा सं0 365 की 0.405 है0 खसरा सं0 514 की 2.643 है0 कुल 13.494 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा रोही करनपुरा बारानी के ही खाता सं0 178/372 के खसरा सं0 362 की 4.957 है0 खसरा सं0 363 की 4.199 है0 कुल 9.156 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के ही खाता सं0 176/368 के खसरा सं0 250 की 2.023 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 46 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एमएसआर के मु0नं0 61 किला नं0 11, 12, 18 ता 23 की 2.024 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 47 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक एवं अधिकार है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भागुराम के नाम से महज कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज चली आ रही है जबकि वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का भी जन्म से हक एवं अधिकार है।

1
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादभूमि के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी भागुराम, फुलीदेवी एवं शान्तीदेवी ने वादभूमि रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 176, 177, 178 में प्रतिवादी भागुराम के नाम जो भूमि है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 मोहनलाल, सुभाषचन्द्र को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा चक 9 एमएसआर में प्रतिवादी भागुराम के नाम जो कृषि भूमि है वह भागुराम के हिस्सा में आ गई तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की कब्जा काश्त चली आ रही है। उक्त पारिवारिक सैटलमेन्ट में प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 ने भी अपनी सहमति दे दी थी। परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी भागुराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किये गये। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 भजनलाल के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम करनपुरा बारानी के खाता सं0 176/368, 177/371, 178/372 सम्वत् 2074 से 77 की प्रदर्श 1, 2, 3 प्रमाणित चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9 एमएसआर के खाता सं0 98/92 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 4 फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 9 मुन्सरी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम करनपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, 7, 8, प्रमाणित प्रतिलिपि मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 9ए, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक एवं अधिकार है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 9 एमएसआर व ग्राम करनपुरा बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 हिन्दू होना तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होना व वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित किया है। जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 9 मुन्सरी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम करनपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, 7, 8 प्रदर्शित करवाई है। पुरानी जमाबन्दी चक 9 मुन्सरी प्रदर्श 5 में वाद भूमि वादी के दादा बिरबल, उदा पि0 मोटा के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है एवं पुरानी जमाबन्दी ग्राम करनुपरा प्रदर्श 6 में उदा वल्द मोटा, हरचन्द वल्द बीरबल के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी, प्रदर्श 7 में उदा वल्द मोटा के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी, प्रदर्श 8 में उदा वल्द मोटा के नाम गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है। प्रदर्श 9ए मृत्यु प्रमाण पत्र से राजेन्द्र पुत्र भागुराम की मृत्यु होना एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 में भागूराम पुत्र उदाराम के वारिसान में पत्नी फुली देवी होना व एक पुत्र राजेन्द्र प्रसाद फौत होना एवं राजेन्द्र प्रसाद के वारिसान में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज.)

पत्नी शान्ति देवी व तीन पुत्र भजनलाल, मोहनलाल, सुभाषचन्द्र होना अंकित है। वादभूमि पैत्रक सम्पति है जिसमें भागुराम का पुत्र राजेन्द्र प्रसाद का वादभूमि में जन्म से 1/2 हक हिस्सा था, जिसके फौत होने पर उसका हिस्सा में उसके प्रथम श्रेणी वारिस उसकी माता, पत्नी व तीनों पुत्र हकदार हिस्सेदार हो गऐ। इसी प्रकार वाद भूमि दादालाई साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण 2 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा है मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 1, 4 व 5 वादभूमि करनपुरा बारानी के खाता सं0 176, 177, 178 को वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने पर सहमत व रजामंद हो गऐ है व मुताबिक राजीनामा चक 9 एमएसआर के मु0नं0 61 किला नं0 11, 12, 18 ता 23 की 2.024 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 47 हिस्सा खातेदारी दर्ज वह भागुराम के हिस्सा में ही रखे जाने पर पक्षकारान सहमत है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करनपुरा बारानी के वर्तमान खाता सं0 177/371 के खसरा सं0 125 की 6.273 है0, खसरा सं0 361 की 4.173 है0 खसरा सं0 365 की 0.405 है0 खसरा सं0 514 की 2.643 है0 कुल 13.494 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा रोही करनपुरा बारानी के ही खाता सं0 178/372 के खसरा सं0 362 की 4.957 है0 खसरा सं0 363 की 4.199 है0 कुल 9.156 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही करनपुरा बारानी के ही खाता सं0 176/368 के खसरा सं0 250 की 2.023 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी भागुराम के नाम से 46 हिस्सा खातेदारी दर्ज है उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी सं0 1 भागुराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादीगण सं0 1, 4, 5 द्वारा हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही रोही मौजा करनपुरा बारानी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 भागुराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त तीनों खातों की कृषि भूमि जो भागुराम के दर्ज है में वादी भजनलाल, प्रतिवादी सं0 2 मोहनलाल, प्रतिवादी सं0 3 सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्थान)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (जिला हनुमानगढ़)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़